कार्यालय–प्रशासक, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन,

ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना

(अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल)

(दिनांक 12.06.2017 से 15.06.2017 तक पूर्व में तैयार पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना पर सम्बन्धित ग्रामों में जनसुनवाई के पश्चात संशोधित)

प्रस्तावना :– 126 किमी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना का निर्माण उत्तराखण्ड के इतिहास में एक परिवर्तनकारी कदम है। उत्तराखण्ड का सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र इतने वर्षो बाद आज भी रेल से वंचित रहा है। उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति न केवल यहां के जनजीवन को प्रभावित करती है बल्कि यहां आने वाले पर्यटन से जुडी आर्थिकी को भी प्रभावित करती है। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के प्रयासों को अपेक्षानुरूप सफलता नहीं मिली है। पृथक राज्य की मांग का आधार ही पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की उत्कंठा थी बावजूद इसके राज्य निर्माण के बाद भी औद्योगिक इकाईयां इसी यातायात की असुविधा के कारण स्थापित नहीं हो पायी। प्रतिवर्ष दैवीय आपदाओं के कारण मोटर मार्गो के क्षतिग्रस्त होने से भी पर्वतीय क्षेत्र की अवसंरचनायें प्रभावित होती है। मात्र आवागमन के साधनों की बहाली में ही राज्य के संसाधनों का एक बड़ा भाग व्यय हो जाता है। इस कारण नियोजित विकास के लिये पूंजी अल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बरसात के मौसम में जगह–जगह सड़के टूट जाती है, जिसके फलस्वरूप कृषि उपज यहीं बर्बाद हो जाती है। स्थानीय युवा रोजगार की तलाश में मैदानों की ओर निकलता है और फिर यहां की कठिनाईयों को देखते हुये वापस नहीं आता, जिसके कारण आज पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश गांव वीरान हो चुके हैं। सीमावर्ती गांवो से भी पलायन होने के कारण सीमाओं पर घुसपैठ हो रही है। मैदानो से आने वाला सामान अति मंहगा हो जाता है तथा मूलभूत वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने के साथ–साथ गम्भीर रोगों से ग्रसित मनुष्यों को समय से उचित चिकित्सा लाभ न मिल पाने के कारण जनहानि भी होती है। मानसून वर्षा एवं आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष इन मोटर मार्गो के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रस्तावित ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन एक सर्वोत्तम विकल्प है क्योंकि इसका अधिकांश भाग सुरंगो में है, जिससे आपदाओं एवं बरसात का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन सुचारू हो पायेगा। इस परियोजना से सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में क्रान्ति आयेगी, साथ ही सामरिक दृष्टि से भी यह परियोजना अति महत्वपूर्ण है, जो कि जनपद टिहरी गढ़वाल होते हुये सीमान्त क्षेत्रों तक आवागमन को सुगम बनायेगी।

क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक परिवेश :– रेल परियोजना क्षेत्र में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत आने वाले अर्जन से आच्छादित क्षेत्र में सभी जाति के लोग निवास करते हैं। परियोजना प्रभावित परिवारों के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। प्रभावितों में 06 प्रतिशत लोग सरकारी नौकरी में है। 08 प्रतिशत लोग स्वंय का व्यवसाय करते है, 17 प्रतिशत लोग मजदूरी व 25 प्रतिशत लोगों की पर्वतीय कृषि ही उनकी जीविका का मुख्य साधन है। कृषि में लागत–लाभ अनुपात कम होने के कारण अधिकांश लोग रोजगार हेतु प्रवास कर गये हैं। साथ ही उच्च शिक्षा की पूर्ति का साधन हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के साथ–साथ श्रीदेवसुमन विश्वविद्यालय तथा रानीचौरी कैंपस भी है।

न्यूनतम भूमि का अर्जन :– ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना की मुख्य विशेषता है कि 126 किमी0 की पूरी लम्बाई का 83.92 प्रतिशत भाग सुरंगो से आच्छादित है। इस प्रकार पूरी परियोजना स्टेशनों व पुलों को छोड़कर पूर्णतया भूमिगत है। इसलिये भूमि अधिग्रहण हेतु जो भी भूमि प्रस्तावित की गयी है वह न्यूनतम है। फलस्वरूप सम्पूर्ण परियोजना सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल एवं उपयोगी है। यह रेल लाईन परियोजना जनपद टिहरी गढ़वाल में तहसील नरेन्द्रनगर के ढालवाला से प्रारम्भ होकर तहसील कीर्तिनगर के ग्राम नैथाणा की परिसीमा तक विस्तृत है। जिसमें जनपद टिहरी गढ़वाल के 13 ग्राम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। जिनकी कुल 58.321 हे0 नाप भूमि तथा 15.372 हे0 सिविल सोयम भूमि अर्जन की जा रही है, जबकि इस क्षेत्रफल में जनपद टिहरी के अन्तर्गत 04 बड़े रेलवे स्टेशन शिवपुरी, ब्यासी, मलेथा तथा रानीहाट–नैथाणा निर्माणाधीन है। जिसका विवरण निम्नवत है :–

सारणी–1

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम का नाम	अर्जन हेतु प्रस्तावित नाप भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	हस्तान्तरित सिविल भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	भूमि खोने वाले परिवारों की संख्या (सामाजिक समाघात परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार)	मात्र भवन के अर्जन से प्रभावित कुटुम्बों की संख्या	भू–अर्जन से प्रभावित खसरों में संयुक्त खातेदारों की संख्या **	भूमि/भवन खोने वाले प्रभावित परिवारों की संख्या	अनुसूचित जाति के प्रभावित कुटुम्ब
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नरेन्द्रनगर	बवाणी	3.483	3.031	11	08	34	05	07
2		अटाली	6.131	0.682	23	0	65	11	0
3		कौडियाला	0.131	1.131	06	01	07	0	0
4		शिवपुरी	—	0.045	0	0	0	0	0
5	देवप्रयाग	भरपूर	1.875	1.255	12	0	83	01	0
6		टोल	0.462	1.160	06	0	71	0	0
7		पन्तगांव	2.215	0.617	15	0	75	0	0
8		बागेश्वर	2.809	0.740	16	0	32	0	0
9		लक्षमोली	4.941	2.190	39	0	116	0	0
10	कीर्तिनगर	मलेथा	13.159	1.174	97	0	397	03	0
11		दिवली	1.081	0.077	14	0	54	0	0
12		रानीहाट	13.291	1.602	65	0	270	17	10
13		नैथाणा	8.743	2.668	49	0	390	12	5
योगः–			**58.321**	**15.372**	**353**	**09**	**1594**	**49**	**22**

नोट :– कालम सं0–6 व 8 में दर्ज प्रभावित परिवारों/खातेदारों की वास्तविक संख्या मौके पर स्वामित्व एवं कब्जे तथा प्रतिकर के अन्तिम रूप से प्राप्ति करने वाले की पुष्टि करने के उपरान्त ही ज्ञात हो सकेगी।

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम का नाम	प्रस्तावित नाप भूमि	फलदार एवं गैरफलदार वृक्षों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1	नरेन्द्रनगर	बवाणी	3.483	1288
2		शिवपुरी	0	0
3		अटाली	6.131	3533
4		कौडियाला	0.131	2025
5	देवप्रयाग	भरपूर	1.875	138
6		टोल	0.462	0
7		पन्तगांव	2.215	207
8		बागेश्वर	2.809	58
9		लक्षमोली	4.941	194

10	कीर्तिनगर	मलेथा	13.159	216
11		दिवली	1.081	71
12		रानीहाट	13.291	144
13		नैथाणा	8.743	94
योगः–			**58.321**	**7973**

सारणी–3

प्रभावित होने वाली आधारभूत अवसंरचनायें

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	मोटर मार्ग	अस्पताल	पेयजल	पंचायत भवन	बारात घर	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अटाली	0	0	0	0	0	01 मोबाईल टावर
2	बवाणी	0	0	0	0	0	0
3	शिवपुरी	0	0	0	0	0	0
4	कौडियाला	0	0	0	0	0	0
5	भरपूर	0	0	0	0	0	0
6	टोल	0.090 हे0	0	0	0	0	0
7	पन्तगांव	0	0	0	0	0	0.104 रास्ता
8	बागेश्वर	0.091 हे0	0	0	0	0	0.069 रास्ता
9	लक्षमोली	0.175 हे0	0	0	0	0	0
10	मलेथा	0	0	0	0	0	0
11	दिवली	0	0	0	0	0	0
12	रानीहाट	0	0	0	0	0	0
13	नैथाणा	0	0	0	0	0	0
योगः–		**0.356 हे0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.173 हे0**

सारणी–4

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	कुल प्रभावितों की संख्या	गरीबी रेखा से नीचे के परिवार	प्रभावित गौशाला संख्या	विकलांग *	अनुसूचित जाति	भूमिहीन होने वाले परिवारों की संख्या **
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बवाणी	34	06	05		07	
2	अटाली	65	07	03		0	
3	कौडियाला	07	0	0		0	
4	शिवपुरी	0	0	0		0	
5	भरपूर	83	05	0		0	
6	टोल	71	04	0		0	
7	पन्तगांव	75	02	0		0	
8	बागेश्वर	32	10	0		0	
9	लक्षमोली	116	21	0		0	
10	मलेथा	397	25	0		0	
11	दिवली	54	03	0		0	
12	रानीहाट	270	10	02		10	
13	नैथाणा	390	12	03		05	
योगः–		**1594**	**105**	**13**		**22**	

नोट :–* प्रस्तावित ग्रामों में दिव्यांग व परित्यक्यता/तलाकशुदा आदि की गणना प्रभावित परिवारों को संयुक्त खाते होने से वास्तविक प्रभावितों (जिनके द्वारा प्रतिकर ग्रहण किया जायेगा) की संख्या प्रतिकर प्राप्ति के उपरान्त ही स्पष्ट की जा सकती है।
** 61–ख तैयार किया जा रहा है।

परिभाषायें :–
(क) ***प्रशासक***– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–30 वर्ष 2013) की धारा–43 की उपधारा–1 के अधीन प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिये नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है। (ख) ***पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त***–इस अधिनियम में अधीन धारा–44 के अन्तर्गत राज्य सरकार, प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिये उस सरकार के आयुक्त या सचिव की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी, जिसे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त कहा जायेगा। इस परियोजना हेतु आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त कहलायेंगे। (ग) परियोजना स्तर पर ***पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति***– राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–45 के अन्तर्गत 100 एकड़ के बराबर या उससे अधिक भूमि के अर्जन होने पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर करने और उसका पुर्नविलोकन करने के लिये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात परियोजना प्रभावित कुटुम्बों के लिये जनपद टिहरी गढ़वाल में **पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन योजना** :–

सारणी–5	
विस्थापन की दशा भूमि भवन सहित विस्थापन	प्रत्येक भवन स्वामी को जिसको भवन से वंचित किया गया है, एक बारगी रू0 1.30 लाख की धनराशि भवन के लिये दिये जाने वाले मूल्यांकन राशि के अतिरिक्त देय है।
वार्षिक नियोजन का विकल्प	(क) प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के एक सदस्य को प्रशिक्षण/कौशल विकास पश्चात परियोजना में न्यूनतम मजदूरी से अन्यून नियोजन उपलब्ध करवाया जायेगा या (ख) प्रभावित कुटुम्ब को एक बारगी रू 5.00 लाख संदेय किया जायेगा या (ग) बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब न्यूनतम रू0 2 हजार प्रतिमास आर्थिक सहायता संदत्त की जायेगी। (घ) प्रभावित की आय का स्त्रोत बढ़ाने हेतु आवश्यकतानुसार ठेकेदारों से पेटी कान्टेक्ट उपलब्ध कराया जायेगा। (पेटी कान्टेट हेतु योग्यता/क्षमता आवश्यक होगी) (ड) आवश्यकतानुसार हल्के वाहन किराये पर लिये जायेंगे।
विस्थापित कुटुम्बों के लिये एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान।	प्रत्येक ऐसे कुटुम्ब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक रू0 3 हजार के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा। (ख) अनुसूचीगत क्षेत्र से विस्थापित अनुसूचित जाति के विस्थापित परिवार को इस धनराशि की अतिरिक्त रू0 50 हजार के समतुल्य धनराशि दी जायेगी।
विस्थापित कुटुम्बों को परिवहन खर्च	ऐसे प्रत्येक विस्थापित कुटुम्ब को भवन सामग्री, घरेलू सामग्री, पशुओं के स्थानान्तरण हेतु एक बारगी रू0 50 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
पशुबाड़ा/छोटी दुकान	ऐसे प्रत्येक दुकान/पशुबाड़ा के अर्जन से एक बारगी न्यूनतम वित्तीय सहायता रू0 25 हजार संदेय है।
कारीगर, छोटे व्यापारियों व अन्य को एक बारगी अनुदान	छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब, जो स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषि श्रमिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, को एक

	बारगी रू0 25 हजार आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता रू0 50 हजार देय है।
स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रीकरण फीस	प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रेशन के लिये संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन परियोजना के अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा।
अन्य सुविधायें	(क) तकनीकी शिक्षा में मैरिट स्कालरशिप प्रदान की जायेगी। (ख) प्रभावित कृषकों के कौशल विकास/प्रशिक्षण हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा व्यवस्था किया जाना। (ग) लोक प्रथाओं एवं संस्कृति के विकास के लिये परियोजना के अपेक्षक निकाय द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी, जिसकी पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति या प्रभावित ग्राम में ग्राम विकास समिति द्वारा संस्तुति की जायेगी।
स्वास्थ्य सुविधायें	प्रभावित कुटुम्बों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्राथमिक सुविधायें उपलब्ध करवाना।

<u>नोट</u> :– उपरोक्त वर्णित कार्य परियोजना प्रभावित क्षेत्र में याचक निकाय द्वारा परियोजना कार्य शुरू करने के दो वर्ष के अन्तर्गत किया जाना है। परियोजना प्रभावित कुटुम्बों (भू–स्वामियों और ऐसे कुटुम्बों जिनकी जीविका मुख्यतया अर्जित भूमि पर निर्भर है, दोनों) के लिये जनपद टिहरी गढ़वाल में पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन योजना के तहत संदेय धनराशि निम्नानुसार.....

धनराशि (लाख रू0 में)

सारणी–6

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम का नाम	प्रभावित इकाईयों की संख्या	भवन के बदले एक मुश्त धनराशि T	वार्षिक नियोजन का विकल्प	जीवन निर्वाह अनुदान	परिवहन व्यय	पुनर्वास भत्ता एक बारगी	अनु0 क्षेत्र के अनु0 जाति के प्रभावित	पशुबाडा/छोटी दुकान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नरेन्द्रनगर	बवाणी	13	16.90	55	4.68	6.50	5.5	–	1.25
2		अटाली	11	14.30	115	3.96	5.50	11.5	–	0.75
3		कौडियालT	01	1.30	30	0.36	0.5	3.0	–	0
4		शिवपुरी	0	0	0	0	0	0	–	0
5	देवप्रयाग	भरपूर	01	1.30	60	0.36	0.5	6.0	–	0
6		टोल	0	0	30	0	0	3.0	–	0
7		पन्तगांव	0	0	75	0	0	7.5	–	0
8		बागेश्वर	0	0	80	0	0	8.0	–	0
9		लक्ष्मोली	0	0	195	0	0	19.5	–	0
10	कीर्तिनगर	मलेथा	03	3.90	485	1.08	1.5	48.5	–	0.50
11		दिवली	0	0	70	0	0	7.0	–	0
12		रानीहाट	17	22.10	325	6.12	8.5	32.5	–	0.50
13		नैथाणा	12	15.60	245	4.32	6.0	24.5	–	0.75
योगः–			58	75.40	1765	20.88	29.0	176.5	–	3.75

निष्कर्ष :– निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रस्तावित नई ब्रॉड गेज ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन के अर्जन में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लगभग रू0 20.7053 (रू0 बीस करोड़ सत्तर लाख तिरपन हजार मात्र) का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन व्यय आयेगा। इसके अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रों में परियोजना निर्माण के दौरान तोडे गये रास्ते, गूल, पेयजल लाईनें, बिजली के पोल आदि का व्यय पृथक से प्रथमतः निर्मित करने के उपरान्त ही तोडा जायेगा, जिस हेतु पृथक से धनराशि रेल विकास निगम द्वारा देय होगी। पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की लागत की अपेक्षा रेल विकास अधोसंरचना के विकसित होने से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने से प्राप्त होने वाले लाभ कहीं ज्यादा होंगे। इस प्रकार प्रस्तावित अर्जन लोकोपयोगी एवं क्षेत्रीय खुशहाली लाभदायक सिद्व होगा।

इस पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रारूप योजना पर मा0 कलेक्टर महोदया, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गठित पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा धारा–17 एवं धारा–45 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पुर्नविलोकन दिनांक 20.06.2017 को अपराहन 1:00 जिला कार्यालय के सभागार में की जायेगी।

दिनांक :–18.06.2017

SKB 18.06.17

(डा0 शिव कुमार बरनवाल)
प्रशासक, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन,
अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन
परियोजना